

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक)

कोरबा वनमंडल के अंतर्गत इस परियोजना से सम्बन्धित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।


वनपरिक्षेत्राधिकारी,
कोरबा परिक्षेत्र (सा.)



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड
रायपुर छत्तीसगढ़

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1. परियोजना विवरण :-

- (i) अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
रिलायंस जियो इफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा से बताती तक भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन बिछाने हेतु 0.650 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है।
- (ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
संलग्न है।
- (iii) परियोजना की लागत।
52,00,000.00 (बावन लाख)
- (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने से बेहतर आधुनिक सुविधा प्राप्त हो जायेगी।
- (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)
आवश्यक नहीं है।
- (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
स्थानीय लोगो को रोजगार मिलेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।

भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु आरक्षित वन निरंक, संरक्षित वनखण्ड रकबा 0.358 हेक्टेयर, ऑरेंज एरिया रकबा 0.114 एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.178 कुल 0.650 हेक्टेयर अपेक्षित है।

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

निरंक

(i) परिवार की संख्या।

निरंक

(ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।

निरंक

(iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

आवश्यक नहीं है।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)

नहीं है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) आवश्यक नहीं है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।
चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न हैं।



(अमर कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़

Chh
बनपरिक्षेत्राधिकारी,
कोरबा परिक्षेत्र (सा.)

तिथि :-

स्थान:-

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक संख्या -

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाये)

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम	:	भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु कोरबा से बताती
2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	:	रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर
3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग :	0.650 हेक्टेयर	
4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति	:	जिला वनमंडल परियोजना स्थल
		कोरबा कोरबा कोरबा से बताती
5. वनभूमि का विस्तृत विवरण	:	वनखंड कक्ष क्र. आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल
क. राजस्व वन क्षेत्र	:	डोगरडीह 210 0.008
		कोरकोमा 610 0.008
		कोरकोमा 43/1 0.006
		कोरकोमा 604/1 0.001
		कोरकोमा 611/1 0.017
		कोरकोमा 589/1 0.024
		कोरकोमा 897 0.004
		कोरकोमा 920 0.023
		कोरकोमा 566 0.002
		डुमरडीह 298 0.070
		राजघुमर 175 0.011
		राजघुमर 123/1 0.004
योग :-		0.178 हेक्टेयर

ख. सीमांकित संरक्षित वन

:	उत्तर कोरबा	986	0.047
	उत्तर कोरबा	985	0.061
	केशला (ब)	979	0.037
	करतला भाग	1008	0.085
	करतला भाग	1006	0.075
	करतला भाग	1004	0.052

योग :- 0.358 हेक्टेयर

ग. आरेंज एरिया

:	दक्षिण रजगामार	1265	0.108
	डुमरडीह (अ)	1281	0.006

योग:- 0.114 हेक्टेयर

घ. आरक्षित वन

:

निरंक

कुल योग :- 0.650 हेक्टेयर

6. आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : साल, बीजा, सीसम, तिल्ला, हलदु, साजा, संहार, अजय.
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति : निरंक
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य : आवश्यक नहीं है।
मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र : नहीं
(राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ?
यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।
11. आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प : नहीं
के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)
12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन : निरंक
किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : कोरबा से बताती

दिनांक : 12/07/22

वनमंडलाधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

वनपरिक्षेत्राधिकारी,
कोरबा परिक्षेत्र (सा.)

उप वनमंडलाधिकारी
उत्तर कोरबा उपवन मंडल कोरबा

(.....)

(भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी
कोरबा, वनमंडल
जिला— कोरबा (छ.ग.)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7. परियोजना /स्कीम का स्थान : भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाने हेतु कोरबा से बताती
- (i) राज्य/ संघ शासित क्षेत्र : छत्तीसगढ़
- (ii) जिला : कोरबा
- (iii) वन प्रभाग : कोरबा वनमंडल
- (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन : 0.650 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)
- (v) वन कानूनी स्थिति : आरक्षित वन निरंक , संरक्षित वन 0.358 हेक्टेयर, ऑरेज एरिया 0.114 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.178 कुल 0.650 हेक्टेयर
- (vi) हरियाली का घनत्व : 0.3
- (vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ. आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाये।
 - भूमिगत ओ.एफ.सी. बिछाना है वृक्ष विदोहन प्रस्तावित नहीं है।
- (viii) भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।
 - भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं हैं।
- (ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।
 - वनो से लगा हुआ एवं वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)
 - नहीं हैं।
- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।
 - नहीं
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।
 - नहीं
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग -1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।
 - प्रयोक्त एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता से सहमत हूं।

9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।
 - नहीं।
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।
 - आवश्यकता नहीं है।
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
 - निरंक
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
 - आवश्यक नहीं है।
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।
 - आवश्यक नहीं है।
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।
 - निरंक
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)
 - आवश्यक नहीं है।
11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)
 - आवश्यक नहीं है।
12. विभाग/जिला प्रोफाईल
 - (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र
 - 2820 वर्ग किलो मीटर।
 - (ii) जिले का वन क्षेत्र
 - 2136.47 वर्ग किलो मीटर।
 - (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।
 - 17 प्रकरण 1089.268 हेक्टेयर
 - (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक:
 - (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि।
1379 हेक्टेयर
 - (ख) वनेत्तर भूमि पर।
20 हेक्टेयर

(v) 2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :

(क) वन भूमि।

1379 हेक्टर

(ख) वनेतर भूमि पर।

20 हेक्टर

13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।
रिलायंस जियो इन्फोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 जी सेवा दे के सभी जिलो, तहसीलो एवं गांव को दूरसंचार की आधुनिकता सुविधा प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में उपलब्ध सभी आधुनिक सुविधाए (एस.टी.डी., इंटरनेट, फैंक्स ईमेल आदि) का भरोसेमंद मीडिया " ऑप्टिकल फायबर केबल " है ओ. एफ.सी. बिछायी गई है वह छोटी जगह भी आधुनिकतम दूरसंचार सेवाओ का लाभ ले रही है। इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है कोरबा से बताती के बीच ओ.एफ.सी. केबल बिछाना ताकि इस मार्ग पर पड़ने वाले सभी सम्बन्धित क्षेत्र देश के हर हिस्सा से जोड़े जायेगे तथा देश के किसी भी हिस्से से सम्बन्धित क्षेत्र में संचार सम्भव हो जायेगा। वस्तुतः सम्पूर्ण भारत इससे लाभान्वित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेत अनुंशसा की जाती है।

()
(वनपरिक्षेत्राधिकारी)
कोरबा परिक्षेत्र (सा.)

वन परिक्षेत्राधिकारी
कोरबा वनमण्डल,
जिला— कोरबा (छ.ग.)

()
वनमंडलाधिकारी
कोरबा वन मंडल कोरबा

(.....)
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
कोरबा वनमण्डल,
जिला— कोरबा (छ.ग.)

दिनांक :-

()
उप वनमण्डलाधिकारी
उत्तर कोरबा उपवन मण्डल कोरबा

स्थान :-

भाग III**(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

- 14 स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल है क्या इसका :-
संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है
(हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किये गये प्रक्षेपों को, निरीक्षण नोट के
रूप में संलग्न करें ।
- 15 क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई :-
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत हैं ।
- 16 प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में :-
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के
साथ विशेष सिफारिशें ।

तिथि :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर

भाग - IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने :-

या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी मोहर